HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12771/2026
CNR: RJHC020780592026 | URN: CRLMB / 23508U / 2026

Kirodi Lal S/o Kamlesh, Aged About 18 Years, R/o Jatlav, Police Station Mitrapura, District Sawai Madhopur, Rajasthan. (At Present Confined In District Jail, Sawai Madhopur, District Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitin Jain
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **92/2026** अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में **जमानत** का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आरोप–पत्र की प्रति पेश की गई थी, जिस पर कार्यालय द्वारा आपत्ति इंगित की गई है। इस हेतु प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 पेश कर कार्यालय आपत्ति दूर किए जाने का निवेदन किया गया है। सुना गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर कार्यालय आपत्ति दूर कर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति अभिलेख पर ली जाती है।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 07.06.2026 को ही 18

वर्ष का हुआ था और दिनांक 15.06.2026 को ही उसका खाता खुलवाया गया है। प्रार्थी के खाते में ठगी की जो राशि बताई जाती है वह 24392/–रूपये है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस शिकायत के अतिरिक्त और कोई शिकायत उसके विरूद्ध नहीं है। अनुसंधान पूरा होकर आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.07.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने राजकुमार मीना के साथ मिलकर साइबर ठगी कारित की है। गम्भीर अपराध है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में 24392/–रूपये की राशि साइबर ठगी की प्राप्त होना बताया गया है। वह मात्र 18 वर्ष का नवयुवक है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण अथवा साइबर ठगी के सम्बन्ध में अन्य कोई शिकायत दर्ज नहीं है। वह दिनांक 31.07.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **किरोड़ी लाल पुत्र कमलेश** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

54/AJAY KUMAR SINGHAL